


फर्द अहकाम

बनाम

प्रकरण सं०...../2017

लाडुरामशर्मा

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
18.5.17	<p>पत्रावली के मध्य न्याय आधिकारिक द्वाारा आदेश में पेशा हुआ मूल वाद फैसला हो जाना के प्रार्थना पत्र आस्थापूर्वक विचार का कोई आदेश नहीं है इसलिए प्रार्थना पत्र सं० 160/17 स्वारिज किया जाता है। पत्रको फैसला कुमार होकर दर्ज नम्बर से कम है। बाद में दाखिल पत्र है।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी जमवारागढ़ </p>